न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 39/2019 दायरा दिनांक : 27.03.2019

उनवान

हरनारायण पुत्र दूलोचन्द जाति अहीर निवासी रणवासी तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालमुकन्द जाति महाजन निवासी भवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एस.के. राणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या 80/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2019 तथ्यों से परे एवं विधि विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर भी गौर नही किया गया है कि अपीलांट ने आराजी खसरा सं0 25 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा खसरा सं0 26 रकबा 3 बीघा 8 बीस्वा, खसरा सं0 27 रकबा 16 बीस्वा, खसरा सं0 28 रकबा 3 बीघा बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 17 बीस्वा वाके ग्राम चारपुरा रेस्पोडेन्ट के मृतक पिता बालमुकुन्द जरिये रजिस्टर्ड डीड करीबन 20 वर्ष पूर्व क्रय की थी तदा तब से ही अपीलांट इन खसरा नम्बरान पर खातेदार कृषक है। तथा 8–10 वर्ष पूर्व खसरा सं0 28 के उत्तरी और कोने पर ट्यूबवैल करवा रखा है। जिसकी पृष्टि वादी एवं उसके गवाह के द्वारा की गई है। तथा स्वयं प्रतिवादी द्वारा इस बात का स्वीकारोक्ति है कि ट्यूबवैल अपीलांट द्वारा ही करवाया गया है। अपीलांट की आराजी के उत्तर की ओर पानी का धोरा है, धोरे के बाद मेड है, तथा उसके बाद रेस्पोडेट के खाते की कृषि भूमि है। जिस पर कि अपीलांट का कब्जा बजाय 15 बीघा के 20 बीघा है। सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा पेमाईश करने से पूर्व दो बार इसकी पेमाईश हो चूकी है। रेस्पोडेंट को इन सब तथ्यों का स्वंय सबूत इकट्ठा करना चाहिये, जो कि न्यायालय के बिना विवेक के दिये गये आदेशों से शहादत एकत्रित की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेन्ट विभाग की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, रेस्पोडेंट अपने बयानों के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाया है। रेस्पोडेंट ट्यूबवैल को हडपने की गरज से गलत पेमाईश अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं शहादत की नकारते हुऐ बिना विवेक इस्तेमाल किये निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पिता से अपीलांट ने 10 बीघा 17 बिस्वा खरीदी थी । उत्तर दिशा की ओर मेड बनी हुई है । मेड के बाद रेस्पोडेंट का खेत है । बीच में पानी का धोरा है । धोरे से पहले ट्यूबवैल है । हमने अपनी आराजी में करवाया है । रेस्पोडेंट ने आराजी नापने का प्रार्थना पत्र लगाया है । पैमाइश से संतुष्ट नहीं हुए फिर सैटलमेंट से पैमाइश करवाई । सैटलमेंट ने भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला । रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 17/9 रकबा 15 बीघा है कब्जा 20 बीघा का है । हमारी आराजी नदी के किनारे दक्षिण में है । ट्यूबवैल रेस्पोडेंट के खेत में आना चाहिए । ट्यूबवैल बाबत कोई आपत्ति नहीं की इस बाबत कोई दस्तावेज नहीं है । रिपोर्ट में हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं और नहीं लिखा है कि हस्ताक्षर करने से मना किया। हमारा कब्जा भी माना है। अपील स्वीकार करें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि ट्यबवैल इनकी आराजी में खुदा हुआ है । इन्होंने 25, 26, 27, 28 चार खसरे खरीदे । इन्होंने कहा खसरा नम्बर 28 में ट्यबवैल खुदा था । रिपोर्ट में खसरा नम्बर 28 में न खोद कर खसरा नम्बर 17/9 में ट्यूबवैल मिला । वादग्रस्त आराजी में ट्यूबवैल दावा करने के 6 महा पहले खुदावाया, न कि 10 साल पहले खुदवाया था। तनकी नम्बर 1 इनके विरूद्ध है । मौका देखने हेतु दस्तावेज सैटलमेंट के नक्शे में इनके खसरे के बाहर ट्यूबवैल लगाया जो हमारी जमीन में पैमाइश अदालत के आदेश से हुई । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय किया जिसमें पहले व दूसरी तनकी को सिद्ध करने का भार वादी अपीलांट पर था लेकिन वो सिद्ध नहीं कर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पाये । तीसरी तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी रेस्पोडेंट पर था जिसने दिनांक 30.06.2015 की पैमाईश रिपोर्ट एवं भू प्रबन्ध विभाग कोटा की पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 पेश किये जिसमें यह पाया गया कि ट्यूबवैल वादी द्वारा प्रतिवादी के कब्जे काश्त में खुदवाया गया है । इस तनकी को प्रतिवादी सिद्ध करने में सफल रहा है । चौथी तनकी भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य से अपने पक्ष में निर्णीत कराने में सफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकी बनाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन किया गया तथा प्रकरण में वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य भी ली गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमा विवाद को हल करने के लिए पटवारी कीं मौका रिपोर्ट ली गई । तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग से भी पैमाइश करवायी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार साक्ष्य लेकर मौका रिपोर्ट लेकर विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा